

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1160 सन 2021

अनवान :-

1. बजीरसिंह पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. रामस्वरूप पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
3. किशनलाल सहारण पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
2. देवीराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
3. बनवारीलाल पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
4. भूपसिंह पुत्र लुणाराम जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 07.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 205/205 की कुल 7.0840हैक् में से 1/7 हिस्सा प्रत्येक वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के एवं खाता संख्या 207/451 की कुल 0.2530हैक् खाता संख्या 425/425की कुल 3.4970हैक् एव खाता संख्या 71/192 की कुल 3.0360हैक् भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है जो उनके पूर्वजो के देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्राप्त हुई हे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने भूमि काश्त की सुविधा व सिचाई सुविधा को ध्यान में रखा जाकर वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है ।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है । वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे ।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरानत प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वजो के देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने भूमि काश्त एवं सिचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को प्राप्त हुई है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया । शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 205/205 की कुल 7.0840 हैक् में से 1/7 हिस्सा प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के एवं खाता संख्या 207/451 की कुल 0.2530 हैक् खाता संख्या 425/425 की कुल 3.4970 हैक् एवं खाता संख्या 71/192 की कुल 3.0360 हैक् भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसमें वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को प्राप्त हुई व अन्य खाते की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को प्राप्त हुई है वादीगण अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

वादी संख्या 1- बजीरसिंह के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 205/205 के प0न0 322/359 (306) किला न0 17 ता 22/1.518 हैक् तथा वादी संख्या 2 रामस्वरूप के पास खाता संख्या 425/452 के प0न0 332/351 (43) किला न0 16 ,24, 25/0.7590 हैक् प0न0 333/351(42) किला न0 12/0.2530 ,13/0.2530 ,18/1 की 0.051 हैक् किला न0 19 ता 22/1.0120 हैक् कुल 2.328 हैक्

वादी संख्या 3 किशनालाल के पास खाता संख्या 205/205 के प0न0 330/359(298) 16 ,17 ,24/0.7590 हैक्, किला न0 25/1 की 0.152 हैक् प0न0 322/359(306) किला न0 16/1 की 0.038 हैक् गै0मु0रास्ता किला न0 16/2 की 0.215 हैक् किला न0 23 ,24/0.506 हैक् 25/1 की 0.038 हैक् किला न0 25/2 की 0.215 हैक् तथा खाता संख्या 425/452 के प0न0 333/351(42) किला न0 14/1 की 0.238 हैक् किला न0 17/2 की 0.238 हैक् 18/2 की 0.202 हैक् किला न0 23/0.2530 ,किला न0 24/0.238 हैक् तथा खाता संख्या 207/451 के प0न0 334/351(41) किला न0 23/0.2530 ,कुल 3.269 हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम के पास खाता संख्या 205/205 के प0न0 331/359(297) किला न0 20 ,21/0.506 हैक् 22/1 की 0.152 हैक् प0न0 330/359(298) किला न0 25/2 की 0.101 हैक् कुल 0.759 हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 देवीराम के पास खाता संख्या 205/205 के प0न0 331/359(297) किला न0 12 ,13 ,18 ,19 की 1.0120 हैक् 22/2 की 0.101 हैक् किला न0 23 की 0.2530 हैक् 24/1 की 0.076 हैक् कुल 1.442 हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 बनवारी लाल के पास खाता संख्या 205/205 के प0न0 331/359(297) किला न0 14 ता 17/1.0120 हैक् 24/2 की 0.177 हैक् 25/0.253 ,कुल 1.442 हैक् भूमि रहेगी

चक 1 ए बारानी के खाता संख्या 71/192 की 3.0360 हैक् वादी संख्या 1 बजीरसिंह अकेले पास रहेगी वादी संख्या 2 ,3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपरखण्ड अधिकारी
नाहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... परलीका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. बजीरसिंह पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. रामस्वरूप पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
3. किशनलाल सहारण पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
2. देवीराम पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
3. बनवारीलाल पुत्र लुणाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर ।
4. भूपसिंह पुत्र लुणाराम जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1160 सन 2021 निर्णय दिनांक- 07.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1- बजीरसिंह के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 205/205 के प0न0 322/359 (306) किला न0 17 ता 22/1.518हैक् तथा वादी संख्या 2 रामस्वरूप के पास खाता संख्या 425/452 के प0न0 332/351 (43) किला न0 16 ,24, 25/0.7590हैक् प0न0 333/351(42) किला न0 12/0.2530 ,13/0.2530 ,18/1 की 0.051हैक् किला न0 19 ता 22/1.0120हैक् कुल 2.328हैक्

वादी संख्या 3 किशनलाल के पास खाता संख्या 205/205 के प0न0 330/359(298) 16 ,17 ,24/0.7590हैक्, किला न0 25/1 की 0.152 हैक् प0न0 322/359(306) किला न0 16/1 की 0.038हैक् गै0मु0रास्ता किला न0 16/2 की 0.215हैक् किला न0 23 ,24/0.506हैक् 25/1 की 0.038हैक् किला न0 25/2 की 0.215हैक् तथा खाता संख्या 425/452 के प0न0 333/351(42) किला न0 14/1 की 0.238हैक् किला न0 17/2 की 0.238हैक् 18/2 की 0.202हैक् किला न0 23/0.2530 ,किला न0 24/0.238हैक् तथा खाता संख्या 207/451 के प0न0 334/351(41) किला न0 23/0.2530 ,कुल 3.269हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम के पास खाता संख्या 205/205 के प0न0 331/359(297) किला न0 20 ,21/0.506हैक् 22/1 की 0.152हैक् प0न0 330/359(298) किला न0 25/2 की 0.101हैक् कुल 0.759हैक् भूमि रहेगी ।

प्रतिवादी संख्या 2 देवीराम के पास खाता संख्या 205/205 के प0न0 331/359(297) किला न0 12 ,13 ,18 ,19 की 1.0120हैक् 22/2 की 0.101हैक् किला न0 23 की 0.2530हैक् 24/1 की 0.076हैक् कुल 1.442हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 बनवारी लाल के पास खाता संख्या 205/205 के प0न0 331/359(297) किला न0 14 ता 17/1.0120हैक् 24/2 की 0.177हैक् 25/0.253 ,कुल 1.442हैक् भूमि रहेगी

चक 1 ए बारानी के खाता संख्या 71/192 की 3.0360हैक् वादी संख्या 1 बजीरसिंह अकेले पास रहेगी वादी संख्या 2 ,3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट....परलीका